Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 1 लाख रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार**
- **मौके से रिश्वत राशि लेकर नगर परिषद का कार्मिक फरार, तलाश जारी**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *24 नवम्बर,* गुरूवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये जोधाराम विश्नोई आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा, बाड़मेर को उसके दलाल प्रकाश विश्नोई (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **1 लाख रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि भूमि के प्लॉट की लीज डीड जारी करने तथा व्यावसायिक पट्टा जारी करने की एवज में जोधाराम अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बालोतरा, बाड़मेर द्वारा दलाल प्रकाश विश्नोई (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **1 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र सिंह एवं श्री मनीष वैष्णव** द्वारा मय टीम बालोतरा, बाड़मेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये जोधाराम विश्नोई पुत्र श्री रामजीलाल विश्नोई निवासी जम्बसागर, पोस्ट भींयासर, पुलिस थाना भोजासर, जिला जोधपुर हाल आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा, बाड़मेर को उसके दलाल प्रकाश विश्नोई पुत्र श्री सुखराम विश्नाई निवासी 10/336, सी. एच.बी., जोधपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से अपने आवासीय क्वाटर के भीतर **1 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेने पर गिरफ्तार किया गया है। मौके पर आरोपी आयुक्त द्वारा रिश्वत राशि परसाराम हाल सफाई कर्मी, नगर परिषद बालोतरा को देकर फरार कर दिया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।